

अशासकीय पत्र सं०-1/शा०/53/2020-1/09/2020 द्वितीय आवंटन-टाईड ग्रांट
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2021

अनुदान सं०-14

तेरह अंकों का कोड-2515008000301

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा०)
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-25/2021/745/33-3-2021-33/2020 दिनांक 30 मार्च, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 975200.00 लाख के सापेक्ष सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड फण्ड) की द्वितीय किशत की धनराशि रू० 243800.00 लाख (रू० चौबीस अरब अड़तीस करोड़ मात्र) की अवमुक्त/स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ०प्र० प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को यथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया जाये-

2. उत्तर प्रदेश को वर्ष-2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रूपये 9752 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) रूपये 4876 करोड़ है तथा बेसिक ग्राण्ट (टाईड) 4876 करोड़ है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)एफ०सी०-एक्स०वी०/2020-21, दिनांक 01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी०-39011 /2/2017एफ०डी०, दिनांक 02.07.2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगा:-

3. यह आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक-26.03.2021 एवं वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के०स०) अनुभाग के पत्र सं०-एफ०सी०सी०ए०-135/दस-2021-2/2020, दिनांक 30.03.2021 के क्रम में निदेशक पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव संबंधी पत्र संख्या-8/5157/2021-8/98/2020-21 दिनांक 30.03.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी- 1/149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24.03.2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

4. समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, कियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (E- Gram Swaraj) के माध्यम से की जायेगी।

5-यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के लिए खोले गए बैंक खाते में ही व्यवहृत की जाएगी।



- 6-सर्वप्रथम समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर ई-ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपनी वार्षिक ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।
- 7-उक्तानुसार प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।
- 8-तत्पश्चात् प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो कि पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से एकीकृत है) के माध्यम से किया जायेगा।
- 9-प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा-वेन्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई-ग्राम स्वराज -पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।
10. उक्त आवंटन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईलेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/आर0जी0-1021/दस/2018- मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
12. उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग-0301-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
13. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति एवं आवंटन जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।
15. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
16. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
17. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।
18. पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संकमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की टाइड ग्रान्ट की धनराशि के उपयोग किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-33/2020, दिनांक 24-08-2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
19. उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त टाइड ग्रान्ट की कुल धनराशि रू0 243800.00 लाख को निम्नानुसार सलग्न फाट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है-

क0सं	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-

3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/-
	योग	24,38,00,00,000/-

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन पंजिका के पृष्ठ सं०-78 पर अंकित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


 (किंजल सिंह)
 निदेशक,
 पंचायतीराज उ०प्र०।


संख्या-1/शा०/53/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक-30.03.2021 के क्रम में।
2. विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग-2), उ०प्र० शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-2), उ०प्र० शासन।
4. विशेष सचिव, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता/वित्त आयोग) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज लेखा, दसवा तल इंदिरा भवन, लखनऊ।
6. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
7. समस्त मण्डलायुक्त।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
11. उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
12. उप निदेशक(पं०), जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उ०प्र०।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
14. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ०प्र०।
15. एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायतीराज उ०प्र०।
